रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235793
CG-DL-E-17052022-235793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17 2022/वैशाख 27, 1944
No. 251] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17 2022/VAISAKHA 27, 1944

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2022

सं. जी-25055/1/2021- एफ एण्ड ए.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्ररूप और रीति) विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.- आयोग इन विनियमों में उपाबद्ध प्ररूप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2022-2023 से प्रारंभ करके प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वर्ष से और निम्नलिखित वर्ष की 31 मार्च के अंत तक, तैयार की जाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्विष्ट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियाकलापों का विवरण दिया जाएगा : -

(क) आयोग का संक्षिप्त परिचय जिसमें उसके अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित और उपशमन करने के लिए रिपोर्ट के वर्ष के दौरान उठाए गए कदम;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता के संरक्षण सुधार के लिए आयोग द्वारा बनाए गए विनियम, जारी किए गए निदेश, सलाह और आदेश ।

4. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.- सम्यक् मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों की अपेक्षित संख्या आयोग के संपरीक्षित वार्षिक लेखा के साथ संसद् में प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष के दिसंबर तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी ।

प्ररूप

(विनियम 3 देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप:

1. आयोग का गठन
2. आयोग की उप-समितियों का गठन
3. आयोग का अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य
4. पूर्वप्रभावी वर्ष
5. उठाए गए कदमों, किए गए प्रस्तावों, प्रतीक्षित अनुसंधानों और आयोग के कार्यों के निष्पादन में किए गए अन्य उपाय
6. आयोग की स्थापना, वित्त और बजट
7. लेखा का वार्षिक विवरण जिसमें प्राप्तियां और भुगतान तथा आय और व्यय को दर्शाया गया हो

अरविन्द कुमार नौटियाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./70/2022-23]

THE COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT

IN NATIONAL CAPITAL REGION AND ADJOINING AREAS

NOTIFICATION

New Delhi, the12th May, 2022

No. G-25055/1/2021-F&A.—In exercise of powers conferred by clause (d) of subsection (2) of section 26 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas hereby makes the following regulations, namely:-

Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, (Form and Manner of Furnishing Annual Report) Regulations, 2022.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021(29 of 2021);

(b) "Form" means the form appended to these regulations

(2) Words or expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Preparation of Annual Report.- (1) The Commission shall prepare annual report in the form annexed to these regulations.

(2) The annual report shall be prepared for the year commencing from the 1st day of April in each year and ending on 31st day of March of the following year, beginning from the financial year 2022-23.

(3) The annual report shall give an account of activities during the previous financial year containing, inter-alia,-

(a) a brief introduction of the Commission including its mandate, goals and objectives;

(b) steps taken during the year of report for control and abatement of pollution in National Capital Region and adjoining areas;

(c) regulations made, directions, advisories and orders issued by the Commission for protecting improving the quality of air in National Capital Region and adjoining areas.

4. Submission of Annual Report – The requisite number of copies of the duly printed annual report shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change by December every year beginning with financial year 2022-23 along with the audited annual accounts of the Commission for laying in the Parliament.

FORM

(see regulation 3)

Form of Annual Report of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas:

1. Constitution of the Commission
2. Constitution of Sub-committees of the Commission
3. Mandate, Goals and Objectives of the Commission
4. The year in retrospect
5. The steps taken, proposals made, researches awaited and other measures undertaken in pursuance of the function of the Commission
6. Establishment, Finance and Budget of the Commission
7. Annual statement of account showing receipts & payments and income & expenditure.

ARVIND KUMAR NAUTIYAL,Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./70/2022-23]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.17 16:27:19 +05'30'